

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/16/2024

दिनांक- 02/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार

काछोला

विषय— प्र.सं. 16 / 2024 अनवान महावीर प्रसाद पुत्र हीरालाल माली निवासी काछोला बनाम दुर्गालाल पुत्र भेरू माली निवासी काछोला, रामेश्वर लाल पुत्र मिश्रीलाल आचार्य निवासी काछोला, महावीर पुत्र कन्हैया लाल आचार्य निवासी काछोला, राजेंद्रसिंह पुत्र महेंद्र सिंह चौधरी निवासी काछोला, लियाकत अली पुत्र हैदर अली मुसलमान निवासी काछोला, श्यामा पुत्र शंकर माली निवासी काछोला, कैलाश चंद्र पुत्र रामचंद्र माली निवासी काछोला, गोपाल पुत्र भूरा माली निवासी काछोला, नारायण पुत्र हजारी माली निवासी काछोला, रामकिशन पुत्र भादुरिया माली निवासी काछोला, सोहन पुत्र देवीलाल माली निवासी काछोला, तहसीलदार काछोला की पत्थरगढी की पालना करने वाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम काछोला प.ह. काछोला आराजी सं. 3079/1431, 1353/2, 1351 कुल किता 03 रकबा 0.6394 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

महावीर प्रसाद पुत्र हीरालाल माली निवासी काछोला
बनाम

दुर्गालाल पुत्र भेरू माली निवासी काछोला वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 16 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
02-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम काछोला प.ह. काछोला आराजी सं. 3079/1431, 1353/2, 1351 कुल किता 03 रकबा 0.6394 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है </p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111 / 128 रा.ले.रे. एक्ट स्वीकार जाता है ग्राम काछोला प.ह. काछोला आराजी सं. 3079/1431, 1353/2, 1351 कुल किता 03 रकबा 0.6394 हेक्टेयर भूमि स्थित भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें तहसीलदार को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 02/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)